

उत्तर प्रदेश कृषि विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता
ईकोसिस्टम सुदृढीकरण परियोजना (यू0पी0-एग्रीज)

महिला उत्पादक समूहों के गठन एवं संचालन हेतु
मार्गदर्शिका



यू0पी0-एग्रीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, यू0पी0डास्प, उ0प्र0

चतुर्थ तल, पिकप भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

पी0ई0एक्स: 2720718, 2721258, ईमेल: updas12@gmail.com

टोल फ्री नम्बर: 1800-1800-118, वेबसाइट: www.updas.org



उ० प्र० एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इन्टरप्राइजेज ईको सिस्टम स्ट्रेन्थेनिंग प्रोजेक्ट यू०पी०डास्प, लखनऊ

1. प्रस्तावना

यू०पी० एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इन्टरप्राइजेज ईकोसिस्टम स्ट्रेन्थेनिंग (यूपी-एग्रीज) परियोजना के माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों की कमियों को चिन्हित कर प्रमुख फसलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि के साथ ही विशिष्ट कृषि उत्पादों के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट/मूल्य संवर्धन गतिविधियों एवं मार्केट सपोर्ट सिस्टम का विकसित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना द्वारा कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों हेतु भण्डारण/खाद्य प्रसंस्करण और इससे सम्बंधित सहवर्ती अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन सृजित किये जायेंगे, जिससे कृषकों की आय में अपेक्षित वृद्धि होगी।

2. उद्देश्य –

यूपी-एग्रीज परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट (यूपी डास्प) संस्था द्वारा कृषकों (सीमान्त एवं लघु कृषकों को प्राथमिकता देते हुए), मत्स्य पालकों एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों को केन्द्रित करते हुए उनके समावेशी विकास हेतु संचालित की जाएगी। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों के आलोक में नवीनतम कृषि तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर कृषकों के समूह क्लस्टर के माध्यम से कृषि लागत में कमी एवं उत्पादकता में सतत वृद्धि कर कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के समग्र विकास एवं प्रभावी मूल्य संवर्धन व उद्यमों को विकसित करने हेतु परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:-

- 1- जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत अनुकूल कृषि पद्धतियों से प्रमुख फसलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि करना एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना।
- 2- परियोजना क्षेत्र में चयनित उच्च मूल्य/विशिष्ट कृषि उत्पादों के क्राप क्लस्टर का चिन्हांकन, उनमें कृषक समूहों का गठन कर क्लस्टर हेतु चयनित विशेषज्ञ एजेन्सी के माध्यम से बेसलाईन सर्वे कर वर्तमान स्थिति के अनुसार क्राप क्लस्टर के विकास की योजना तैयार करना तथा स्वीकृति उपरान्त उसे क्रियान्वित करना। इन क्राप क्लस्टर को परियोजना अंतराल में ही उन्हें बेहतर व उन्नत तकनीक, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, बेहतर वित्तीय पहुंच तथा बेहतर संसाधन एवं राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय बाजार एवं निर्यात के माध्यम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Centre of Excellence) के रूप में विकसित करना।
- 3- कृषक समूहों/कृषक उत्पादक संगठनों, मत्स्य पालकों एवं महिला उत्पादक समूहों के माध्यम से कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग, प्रसंस्करण एवं भण्डारण तथा अन्य मूल्य संवर्धन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

- 4— स्थानीय स्तर पर कृषि आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण एवं रोजगार के अवसर सृजित करना ।
- 5— कृषि उत्पादों के लाभदायक मूल्य पर विक्रय व्यवस्था हेतु सुदृढ़ मार्केट सपोर्ट सिस्टम का विकास करना। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए आवश्यक संरचनाओं का विकास व संचालन।
- 6— प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से सम्बन्धित हितधारकों के लिए सूचनाओं के सुगम आदान-प्रदान हेतु डिजिटल एग्रीकल्चर इको सिस्टम एवं सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म की स्थापना।
- 7— जेवर एयरपोर्ट के पास एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना।
- 8— फसलों की उत्पादकता में 30-50% की बढ़ोत्तरी।
- 9— 2 से 3 उपज का बड़े पैमाने पर निर्यात, कृषि विशेष आर्थिक जोन(एसईजेड) की स्थापना।
- 10— विश्व स्तरीय कार्बन क्रेडिट मार्केट की स्थापना।
- 11— स्थानीय मौसम स्टेशनों के आधार पर किसानों को वास्तविक समय (रियल टाइम) मौसम सूचना और बाजार मूल्य सुझाव (एडवाइजरी)।
- 12— 500 किसानों को सर्वोत्तम कृषि तकनीकी को देखने के लिए विदेशों में भ्रमण के लिए भेजना।
- 13— 2 से 3 विश्व स्तरीय हैचरी की स्थापना।
- 14— मत्स्य पालन क्षेत्र की उत्पादकता/प्रोसेसिंग व मार्केटिंग बढ़ाना तथा टैंक/बायोप्लाक में मत्स्य पालन कराया जाना।
- 15— कृषि, मत्स्य एवं प्रसंस्करण गतिविधियों में महिला उत्पादक समूहों को सशक्त बनाना।
- 16— कृषि क्षेत्र में ऋण बढ़ाना, विशेषकर दीर्घकालिक।

3. परियोजना का कार्यक्षेत्र —

यद्यपि इस परियोजना में विकसित तकनीक और संस्थागत सुधारों का सकारात्मक प्रभाव और लाभ समूचे प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था पर होगा तथापि विशिष्ट रूप से भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में परियोजना का क्रियान्वयन लक्षित किया गया है जिसमें प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के झांसी व चित्रकूटधाम मण्डल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के विन्ध्याचल, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती एवं देवीपाटन मण्डल के समस्त 28 जनपद सम्मिलित हैं।

4. परियोजना के लाभार्थी —प्रस्तावित परियोजना के माध्यम से परियोजना क्षेत्र के कृषकों की आय में वृद्धि करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास किया जाना लक्षित है। प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले वर्ग निम्नवत् हैं—

- i. परियोजना क्षेत्र के समस्त कृषक व महिलाएं।
- ii. कृषक उत्पादक समूह/कृषि उत्पादक संगठन एवं अन्य।
- iii. पट्टाधारक मत्स्यपालक/मत्स्यजीवी सहकारी समितियां/निजीतालाब के मत्स्यपालक।
- iv. उद्यमी/कृषि/मत्स्य उद्यमी/महिला उद्यमी समूह इत्यादि।
- v. कुशल एवं अकुशल कृषि श्रमिक।
- vi. कृषि क्षेत्र से जुड़े इन्टरप्रेन्योर एवं निर्यातक।

महिला उत्पादक समूहों के गठन हेतु मार्गनिर्देशिका

उत्तर प्रदेश में कृषि में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और यह राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में अहम योगदान देती है। यहां की ग्रामीण महिलाओं का कृषि कार्यों में प्रमुख योगदान होता है जो फसल बुआई, कटाई, पशुपालन एवं सिंचाई जैसे कार्यों में संलग्न रहती हैं। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान परिवारों में महिलाएं कृषि का आधार होती हैं जो परिवार की आजीविका सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कृषि कार्यों में महिलाओं की संलग्नता के बावजूद उन्हें अक्सर उनके नाम भूमि न होने एवं यहां की सामाजिक व्यवस्था के कारण उचित मान्यता और योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। पारंपरिक विचारधारा और संसाधनों की कमी के चलते भी महिलाएं कृषि तकनीकी एवं कृषि आधारित गतिविधियों हेतु आर्थिक समर्थन एवं वित्तपोषण से वंचित रह जाती हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि में पुरुष किसानों की सहभागिता उच्च मूल्य के कृषि कार्यों की भूमिका में जैसे कृषि डाटा संग्राहक, कृषि प्रसंस्करण, निर्यातक एवं रीटेलर आदि के रूप में है जबकि महिलाओं की सहभागिता निम्न मूल्य एवं महत्ता के कृषि कार्यों तक ही सीमित है। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली गतिविधियों में महिलाओं सहभागिता बढ़ाने में कई प्रकार की चुनौतियां हैं जैसे कि 1—उनके नाम भूमि न होने के कारण उन्हें वित्तीय संस्थाओं से औपचारिक ऋण नहीं मिल पाना, 2—उत्पादक संपत्तियों तक पहुंच में कमी, 3—उच्च मूल्य की कृषि तकनीकी एवं प्रशिक्षण का अभाव, 4—जेंडर सेंसिटिव उच्च मूल्य की कृषि की तकनीकी सर्विसेज़ का अभाव आदि।

उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से संचालित एग्रीज़ परियोजना के माध्यम से महिला किसानों को समूह के रूप में संगठित करके उन्हें कृषि संबंधी उद्यम हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, परियोजना के ऑल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट फंड के प्रस्ताव तैयार कराने एवं जमा कराने में सहयोग प्रदान करना, महिला समूहों को कृषि संबंधी उद्यम के संचालन हेतु टूल्स एवं यंत्र तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना तथा समूह के सदस्यों का कौशल विकास कर उनमें प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु प्रयास किया जायेगा जिससे महिलाओं हेतु भी रोजगार सृजन कर उनके परिवार की आय में वृद्धि की जा सके एवं उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश एग्रीज़ परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में पूर्वांचल के 21 जनपदों— वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, संतकबीरनगर, सिदार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराईच श्रावस्ती तथा बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों— झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा एवं हमीरपुर इसप्रकार कुल 28 जनपदों में 9225—10000 महिला उत्पादक समूहों का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजनान्तर्गत इन महिला उत्पादक समूहों का गठन एवं संचालन किस प्रकार किया जायेगा इसके लिए एक मार्गदर्शिका तैयार की गयी है। उत्तर प्रदेश एग्रीज़ परियोजना अन्तर्गत गठित किये जाने वाले महिला उत्पादक समूह (वुमेन पीजी) के लिए दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं। ये दिशानिर्देश महिलाओं को परियोजना क्षेत्र में 10 से 20 सदस्यों के एक अनौपचारिक समूह

के रूप में संगठित कर कृषि कार्यों, कृषि प्रसंस्करण, फसल प्रबंधन, फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी गतिविधियों तथा मत्स्यपालन संबंधी गतिविधियों में उनकी मूल्यात्मक भागीदारी बढ़ाते हुए उन्हें उद्यम की स्थापना हेतु प्राप्ताहित करने एवं इसके माध्यम से उनके लिए रोजगार सृजन एवं उनकी आय में वृद्धि हेतु तैयार किये गये हैं। इस दिशानिर्देश का उपयोग परियोजना में कार्यरत जिला परियोजना प्रबंधन इकाई तथा सपोर्ट संस्था के क्षेत्र स्तरीय स्टॉफ द्वारा महिला उत्पादक समूह के गठन, संचालन एवं सशक्तीकरण हेतु किया जायेगा।

महिला उत्पादक समूह के संचालन के मुख्य बिंदु निम्नवत हैं:—

1. महिला उत्पादक समूह का गठन :—

- यू0पी0एग्रीज परियोजना क्षेत्र में चयनित कृषि क्षेत्र के अनुमानित प्रत्येक 20 हेक्टेअर क्षेत्र में किसान परिवारों की महिलाओं को जोड़कर एक महिला उत्पादक समूह का गठन किया जायेगा।
- परियोजना क्षेत्र के गांवों में महिला उत्पादक समूह के गठन में सीमान्त कृषक परिवारों, एस0सी0/एस0टी0 एवं भूमिहीन परिवारों की महिलाओं को वरीयता दी जायेगी।
- परियोजना क्षेत्र में स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन योजनान्तर्गत गठित/संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों को भी उनकी स्वेच्छानुसार परियोजना की कृषि अथवा मत्स्य आधारित गतिविधियों से जोड़ा जा सकेगा।
- परियोजना क्षेत्र में स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन योजनान्तर्गत गठित/संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों की मैपिंग कर उन्हें परियोजनान्तर्गत नियमानुसार जोड़ा जायेगा।
- इसी प्रकार यू0पी0एग्रीज परियोजना क्षेत्र में गठित नये समूहों को स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन योजनान्तर्गत अनुमन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकेगा।
- ये महिला समूह पूर्ण रूप से एक अनौपचारिक समूह होगा तथा इसे पंजीकृत किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- महिला उत्पादक समूहों तथा उनके सदस्यों को उनकी रुचि एवं सहमति के अनुसार कृषि अथवा मत्स्य आधारित गतिविधियों में विभाजित करते हुए कमोडिटी-वाइस क्लस्टर बनाये जायेंगे।
- इन समूहों को मुख्यतः कृषि एवं मत्स्य आधारित गतिविधियों में फसल प्रबंधन, पैकेजिंग, प्रसंस्करण, अवशेष प्रबंधन इत्यादि गतिविधियों से उनकी स्वेच्छानुसार जोड़ा जा सकेगा।
- महिला उत्पादक समूहों का गठन एक गांव व आस-पास के गांव की न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 20 महिलाओं के साथ किया जायेगा।
- गठित महिला उत्पादक समूहों के मूल्यांकन उपरांत उनका कमोडिटी आधारित गतिविधियों पर आवश्यक क्षमतावर्धन प्रशिक्षण परियोजना अन्तर्गत किया जायेगा।
- गठित महिला उत्पादक समूहों द्वारा चयनित कमोडिटी के कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु संबंधित क्षेत्रों में उनका कौशल विकास क्षेत्र की विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा।

- समान उद्देश्य के लिए कार्यरत कई महिला उत्पादक समूहों को उनकी सहमति से फेडरेट करके उन्हें एक सहकारी समिति, सोसाइटी या एक महिला उत्पादन कंपनी (WFPO) के रूप में उपयुक्त समयानुसार (2-3 वर्षों में) पंजीकृत किया जा सकता है। उत्पादक समूहों के संगठन में सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है। इस कार्य को परियोजना अन्तर्गत चयनित एफ0पी0ओ0 एजेन्सी के माध्यम से किया जायेगा।
- महिला समूहों के संगठनों का क्षमतावर्धन, कौशल विकास तथा बिजिनेस प्रमोशन का कार्य भी चयनित एफ0पी0ओ0 एजेन्सी अथवा कमोडटी क्लस्टर एजेन्सी के द्वारा किया जायेगा।

2. महिला उत्पादक समूहों की सदस्यता और पात्रता :-

- महिला उत्पादक समूहों की महिलाएं परियोजना क्षेत्र की स्थायी निवासी होनी चाहिये जिसे उनके पहचान-पत्र (वोटर कार्ड/आधार कार्ड) के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है।
- महिला उत्पादक समूह की महिला अपने क्षेत्र में संचालित किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य भी हो सकती है।
- महिला उत्पादक समूह की सदस्य केवल महिलाएं होंगी, और उन्हें कृषि या कृषि से संबंधित गतिविधियों अथवा मत्स्य संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने की रुचि होनी चाहिए।
- महिला उत्पादक समूहों में उन महिलाओं, जो आर्थिक रूप गरीबी रेखा से नीचे, भूमिहीन या छोटे और सीमांत किसान परिवारों से हैं, को प्राथमिकता दी जाएगी।
- महिला उत्पादक समूह में एक परिवार¹ (एक ही माता-पिता के सभी विवाहित बच्चे अलग-अलग परिवार माने जा सकते हैं) से केवल एक महिला ही सदस्यता के लिये पात्र होगी।
- महिला उत्पादक समूह में समान रुचि, समान विशेषता एवं एक ही ग्राम क्षेत्र की महिलाएं होनी चाहिये ताकि उनमें बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।

3. महिला उत्पादक समूह का प्रबंधन :-

समूह की बैठक:

- समूह द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर समूह की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया सामूहिक रूप से होगी।

¹ Order 32a Rule 6 of Code of Civil Procedure 1908 -

Each of the following shall be treated as constituting a family, namely:-

(a) (i) a man and his wife living together,

(ii) any child or children, being issue of theirs; or of such man or such wife,

(iii) any child or children being maintained by such man and wife;

(b) a man not having a wife or not living together with his wife, any child or children, being issue of his, and any child or children being maintained by him;

- बैठक का दिन और समय समूह गठन के समय ही प्रथम बैठक में चयनित सदस्यों द्वारा सर्व-सम्मति से तय किया जायेगा।
- बैठक में सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी।
- बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रूप से कार्यवाही पुस्तिका में लिखी जायेगी।
- समूह संचालन के किसी भी नियम में बदलाव या समूह का कोई प्रस्ताव सभी सदस्यों की सहमति से समूह की बैठक में पारित किया जा सकेगा।
- समूह की समस्याओं को समूह के सदस्यों द्वारा ही आपसी सहमति से सुलझाया जायेगा।
- समूह की मासिक बैठक के प्रभावी संचालन हेतु बैठक में समूह के किसी सदस्य के बिना पूर्व सूचना के देर से आने अथवा अनुपस्थित होने पर समूह द्वारा इस हेतु निर्धारित न्यूनतम दण्ड देना होगा।
- यह दण्ड सदस्य की आकस्मिक परिस्थितियों एवं अस्वस्थता के दृष्टिगत माफ भी किया जा सकता है।
- समूह चाहे तो समूह के बेहतर संचालन के लिए सबकी सहमति से लगातार चार बैठकों में बिना बताये अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का भी नियम बना सकता है।

समूह का लेखा-जोखा:

- समूह का लेखा-जोखा समूह/क्षेत्र की किसी शिक्षित महिला द्वारा बैठक के दिन ही नियमित रूप से एवं सही तरीके से परियोजना अन्तर्गत देय रजिस्टर पर रखा जाएगा।
- समूह का खाता क्षेत्र के बैंक शाखा में समूह गठन के उपरान्त अति शीघ्र सर्पोट संस्था के सहयोग से द्वारा खुलवाया जायेगा।
- समूह सदस्यों की प्रत्येक बैठक में जमा की गयी बचत उसी दिन या अगले दिन अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष द्वारा समूह के खाते में जमा कर दी जायेगी ताकि बचत की धनराशि का हिसाब सही रहे।
- प्रत्येक छः माह पर समूह के लेखे जोखे का ऑडिट समूह की सहमति से परियोजना जनपद की सर्पोट संस्था के माध्यम से कराया जाएगा।

समूह का नेतृत्व:

- समूह के संचालन के लिए अध्यक्ष, सचिव, और कोषाध्यक्ष का चुनाव समूह गठन के समय ही सर्वसम्मति से कर लिया जायेगा।
- यह नेतृत्व प्रत्येक दो वर्ष पर सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से परिवर्तित किया जायेगा जिससे सभी सदस्यों को नेतृत्व का अवसर मिल सके तथा उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके।

अध्यक्ष, सचिव, और कोषाध्यक्ष के उत्तरदायित्व: (संलग्नक-1)

4. महिला उत्पादक समूहों के गठन का उद्देश्य:-

- आर्थिक—सामाजिक सशक्तिकरण: महिलाओं की आर्थिक—सामाजिक स्थिति को मजबूत करना, समूह के उद्यम हेतु बेहतर बाजार, संसाधनों और बुनियादी ढांचे तक उनकी पहुंच बढ़ाना।
- सामूहिक सौदेबाजी (क्लेक्टिव बारगेनिंग): इनपुट्स (बीज, खाद, यंत्र आदि) की सामूहिक खरीद और उत्पादों की सामूहिक बिक्री से बेहतर दाम प्राप्त करना।
- क्षमता विकास हेतु कृषि, वित्तीय प्रबंधन और उद्यमिता में महिलाओं के कौशल को बढ़ाना।
- वित्तीय संसाधनों तक पहुंच: सरकारी योजनाओं, ऋणों और सब्सिडी तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।
- स्थायी कृषि: पर्यावरण—अनुकूल कृषि पद्धतियों और कृषि में विविधता को बढ़ावा देना।
- सामूहिक खेती, उत्पादन, विपणन और संसाधन प्रबंधन के माध्यम से महिलाओं हेतु रोजगार सृजन एवं उनके परिवारों की आय में वृद्धि।
- समूहों को कृषि की नवीनतम तकनीकी का प्रशिक्षण और कृषि व्यापार की जानकारी प्रदान करना।
- समूहों को 'पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कृषि, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण की गतिविधियों, मत्स्य पालन एवं प्रसंस्करण की गतिविधियों तथा फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी गतिविधियों में परियोजनान्तर्गत चयनित विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना।
- समूहों को चयनित विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा उनके उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं उत्पाद प्रमोशन की जानकारी प्रदान करना।
- क्षेत्र के बिचौलियों को हटाकर महिला उत्पादक समूहों की सीधी पहुँच बाजारों तक बनाना तथा उन्हें डिजिटल मार्केटिंग प्लैटफॉर्म से जोड़ना।

5. महिला उत्पादक समूहों का क्षमतावर्धन कार्यक्रम और प्रशिक्षण:—

- महिला उत्पादक समूहों के संचालन संबंधी विषय पर आवश्यकता आधारित क्षमतावर्धन किया जायेगा। इस हेतु सभी एफ0पी0जी0 के लिए एक स्टैंडर्ड प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया जायेगा।
- महिला उत्पादक समूह की महिलाओं को वित्तीय साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी, और कृषि उपकरणों के प्रयोग पर संबंधित एजेन्सी (बैंक, एस0ओ0, कृषि विभाग, के0वीके0 आदि) के द्वारा आवश्यकता एवं योजनानुसार समय—समय पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
- चयनित फसल कमोडिटी के अन्तर्गत गठित महिला उत्पादक समूहों द्वारा फसल कटिंग के उपरान्त उसके प्रबंधन, चयनित फसल के प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन एवं फसल अवशेष प्रबंधन सम्बन्धी कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु विभिन्न फसल कमोडिटी हेतु परियोजनान्तर्गत चयनित विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में उनका कौशल विकास कराया जायेगा।

- महिला उत्पादक समूह के सदस्यों को कृषि के आधुनिक तरीकों, जैविक खेती, बीज उत्पादन एवं उपचार, फसल एवं फल प्रसंस्करण, मत्स्य पालन और विपणन तथा फार्म मशीनरी बैंक के संचालन इत्यादि के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा।
- महिला उत्पादक समूह के सदस्यों को कृषि आधारित गतिविधियों जैसे बागवानी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी, प्रसंस्करण गतिविधियों इत्यादि में भी काम करने की स्वतंत्रता होगी।
- विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से बेहतर जुड़ाव स्थापित करने हेतु क्षेत्र के लीड बैंकों के साथ महिला समूहों की सीधा संवाद बैठकों का आयोजन एस0ओ0 एवं डी0पी0आई0यू0 के माध्यम से समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
- वित्तीय प्रबंधन, रिकॉर्ड-कीपिंग, और सरकारी योजनाओं एवं बाजार से जुड़ने की प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी एफ0पी0ओ0 एवं कमोडिटी क्लस्टर हेतु चयनित एजेन्सी के माध्यम से समूहों को उपलब्ध कराया जाएगा।

6. महिला उत्पादक समूहों को वित्तीय सहायता और ऋण:-

- समूहों की दैनिक छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समूहों में नियमित बचत एवं ऋण की गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। इससे समूहों में उनका एक कॉरपस धन भी सृजित होगा।
- परियोजना के उद्देश्यों के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार की महिला समूह आधारित योजनाओं के बारे में समूहों को जागरूक करने तथा विभाग के नियमानुसार योजनाओं से जुड़ाव के द्वारा समूहों को वित्तीय/संसाधन/सब्सिडी संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा जिसके लिए विभिन्न संबंधित विभागों (UPSRLM, MSME, Agriculture, Horticulture, Fisheries etc.) से समन्वयन की रूपरेखा पी0एम0यू0 द्वारा तैयार की जायेगी।
- सभी इच्छुक महिला उत्पादक समूहों को संबंधित क्षेत्रीय बैंकों से समूह की आवश्यकता एवं प्रस्ताव अनुसार वित्तीय ऋण की सुविधा दिलाने हेतु एस0ओ0 के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाएगा।

7. महिला उत्पादक समूहों का बाजार से जुड़ाव:-

- महिला उत्पादक समूहों को स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने हेतु एस0ओ0 के माध्यम से महिला समूहों का परियोजनान्तर्गत सहयोग चयनित एफ0पी0ओ0 एजेन्सी एवं कमोडिटी क्लस्टर विकास हेतु चयनित विशेषज्ञ एजेन्सी द्वारा निम्नवत सहयोग प्रदान किया जाएगा:
- साझा विपणन: उत्पादों का विपणन सामूहिक रूप से किया जाएगा ताकि उत्पादों की बेहतर कीमत समूह को मिल सके।

- कलेक्टिव ब्रांडिंग: महिला उत्पादक समूहों द्वारा अपने उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के माध्यम से बाजार में एक पहचान बनाना।
- ई-मार्केटिंग: समूह के उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर भी बेचने हेतु प्रोत्साहित करना।
- महिला उत्पादक समूह के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सरकार के सहयोग से बाजारों में सीधा जुड़ाव स्थापित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।
- स्थानीय स्तर पर समूह को कृषि हाट, मेलों और अन्य बाजारों में अपने उत्पाद बेचने की सुविधा प्रदान करना।
- राज्य स्तर पर महिला समूहों को कृषि मेलों और प्रदर्शनियों में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाएगा।
- महिला उत्पादक समूह द्वारा उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए बिचौलियों को हटाया जायेगा।

8. महिला उत्पादक समूहों को संचालन हेतु समन्वयन सहायता (SO के माध्यम से):-

- सरकार के कृषि, हार्टिकल्चर तथा मत्स्य एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा नवीनतम तकनीकी प्रशिक्षण के आयोजन हेतु समन्वय स्थापित करना।
- परियोजना की सपोर्ट संस्थाओं तथा डी0पी0एम0यू0 द्वारा महिला समूहों के गठन और उनके कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में सहायता प्रदान की जाएगी।
- महिलाओं के लिए संचालित विशेष योजनाओं की जानकारी और लाभ दिलाने में सहायता प्रदान करना।
- कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) और कृषि विभाग से तकनीकी सहयोग प्राप्त करना।
- महिला समूहों को परियोजना अन्तर्गत देय सुविधाओं, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों से भी समय-समय पर उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें लाभान्वित किया जायेगा।

9. महिला उत्पादक समूह की निगरानी और मूल्यांकन:-

- समूह की गतिविधियों और उद्यम प्रगति की निगरानी समूह के पदाधिकारियों द्वारा अपनी साप्ताहिक/मासिक बैठकों में की जायेगी जिसके लिए सपोर्ट संस्था के स्टाफ द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा।
- समूह की गतिविधियों और उद्यम प्रगति की रिपोर्टिंग एम0आई0एस0 एजेन्सी द्वारा विकसित पोर्टल पर सपोर्ट संस्था एवं डी0पी0एम0यू0 द्वारा मासिक स्तर पर की जायेगी।
- समूह की गतिविधियों और उद्यम प्रगति की निगरानी सपोर्ट संस्था के माध्यम से भी डी0पी0एम0यू0 द्वारा पाक्षिक स्तर पर एवं पी0एम0यू0 द्वारा मासिक स्तर पर की जायेगी।
- समूह की गतिविधियों और प्रगति की निगरानी हेतु एक मासिक आख्या प्रपत्र पी0एम0यू0 द्वारा विकसित कर संबंधित स्टाफ एवं एम0आई0एस0 एजेन्सी को दिया जायेगा।

- समूह की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा परियोजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति (District level Executive Committee) के द्वारा भी समीक्षा बैठकों में की जाएगी।
- राज्य स्तर पर परियोजना में कार्यरत मूल्यांकन एवं अनुश्रवण एजेन्सी द्वारा भी समूह की गतिविधियों और उद्यम प्रगति की निगरानी एवं रिपोर्टिंग निर्धारित सैम्पल के अनूसार की जायेगी।
- वार्षिक आधार पर समूहों की समीक्षा और मूल्यांकन कर उनकी रेटिंग की जाएगी। समूहों की रेटिंग का प्रपत्र पी0एम0यू0 द्वारा तैयार कर डी0पी0एम0यू0 एवं सपोर्ट संस्था को दिया जायेगा।

10. महिलाओं हेतु संचालित कुछ सरकारी योजनाएं:—

- महिला किसान सशक्तिकरण योजना (MKSP)
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
- अन्य चिन्हित योजनाएं

महिला उत्पादक समूह के पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व

अध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व—

1. बैठक बुलाना एवं बैठक की अध्यक्षता करना।
2. सभी सदस्यों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना।
3. बैठक में सदस्यों द्वारा लाये गये प्रस्ताव को रखना एवं चर्चा करना।
4. निर्णय न हो पाने की स्थिति में निर्णायक मत देकर प्रस्ताव पारित करना।
5. सदस्यों की उपस्थिति एवं बचत पर चर्चा करना।
6. आपसी झगड़ों एवं अन्य मामलों के सम्बन्ध में आम सहमति के आधार पर निर्णय लेना।
7. बैंक खाते ठीक प्रकार से संचालन करना।
8. समूह के सदस्यों को कृषि आधारित एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म व लघु उद्यम स्थापित करने हेतु प्रेरित व सहयोग करना।
9. समूह के कृषि एवं मत्स्य संबंधी उद्यम हेतु सदस्यों के प्रशिक्षण एवं इनपुट की समय से व्यवस्था करना।
10. कृषि एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के उद्यम में विविधीकरण एवं विस्तार हेतु प्रयास करना।
11. समूह के कृषि एवं मत्स्य संबंधी उद्यम के उत्पादों हेतु उचित बाजार लिंकेज के लिए प्रयास करना।
12. बैंकों से समूह के सदस्यों का ऋण दिलवाने में सहयोग प्रदान करना।

सचिव के कार्य एवं उत्तरदायित्व—

1. समूह के नियमों का पालन कराना।
2. समूह के खाताबही की देखरेख करना। बैठक की कार्यवाही को रजिस्टर पर लिखना/लिखवाना।
3. समूह के नियम/प्रस्ताव को क्रियान्वित करना।
4. बैंक खाता का संचालन करना।

कोषाध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व—

1. समूह के पैसों का हिसाब-किताब रखना।
2. समय से बचत एवं ऋण की किस्तों को जमा कराना।
3. बैंक में बचत/पैसों को जमा करना एवं जरूरत पड़ने पर निकासी करना।
4. समूह के पैसों को सुरक्षित रखना।
5. बैंक खाता का संचालन करना।
6. बैंकों से समूह के सदस्यों का ऋण दिलवाने में सहयोग प्रदान करना।

समूह सदस्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व—

1. सभी सदस्य समूह में एकता और सहयोग की भावना रखेंगे।
2. सभी सदस्य एक दूसरे को समान अवसर देंगे एवं प्रोत्साहित करेंगे।
3. सभी सदस्य आवश्यक संसाधनों का न्यायपूर्ण एवं उचित तरीके से उपयोग एवं प्रबन्धक करेंगे।
4. सभी सदस्यों का दायित्व होगा कि जानबूझ कर ऋण नहीं चुकाने वाले सदस्यों से ऋण वसूली करने हेतु सामूहिक कार्यवाही करना।
5. सभी सदस्य कृषि अथवा मत्स्य आधारित गतिविधियों के विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे और एक दूसरे का सहयोग करते हुए नेतृत्व की जिम्मेदारी लेंगे।
6. सभी सदस्य समूह के माइक्रोप्लान का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं समूह के कार्यों के मूल्यांकन में भाग लेंगे। मूल्यांकन सम्बन्धी तथ्यों पर उचित कार्यवाही करेंगे।
7. सभी सदस्य समूह की बैठक में अनुशासन बनाये रखेंगे।
8. सभी सदस्य समूह द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करेंगे।
9. सदस्यों को ही पदाधिकारियों का चयन करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

.....महिला उत्पादक समूह

ग्राम.....विकासखण्ड.....जनपद.....

संलग्नक—2

यूपी एग्रीज़ परियोजना की जिला परियोजना क्रियान्वयन ईकाई की सूची

क्रमांक	जि0प0प्र0 का नाम एवं पता	जि0प0प्र0 ईकाई का पता	मोबाईल नम्बर	ई-मेल पता
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				



Kala Namak Rice



यू०पी०एग्रीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, यू०पी०डास्प, उ०प्र०

चतुर्थ तल, पिकप भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

पी०ई०एक्स: 2720718, 2721258, ईमेल: updasp12@gmail.com

टोल फ्री नम्बर: 1800-1800-118, वेबसाईट: www.updasp.org